अपील संख्या 2018/00467 (337/2018) 223 आरटीएक्ट

बलवीरसिह पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. रणजीत पुत्र नन्दराम
2. कृष्णकुमार पुत्र रणजीत
3. नारायणी पुत्री रणजीत
4. लिलावती पुत्री रणजीत
5. ओमवती पुत्री रणजीत
6. सरोज पुत्री रणजीत
7. राजबाला पुत्री रणजीत
8. अनोसिका पुत्री रणजीत
9. सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार } जाति जाट साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट्

बिरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2018 सहायक कलक्टर/ उप उपखण्ड अधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 106/2018 बअनवानी बलवीरसिंह बनाम रणजीत आदि

उपस्थितः–
श्री हवासिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0
श्री मांगीलाल गोदारा राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांकः–11.04.2019

1. अधीनस्थ न्यायायल में अपीलाण्ट ने एक अर्जीदावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूती अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। दावा में प्रश्नगत भूमि जो प्रतिवादी रणजीतसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है उसमें वादी बलवीरसिंह व प्रतिवादी कृष्ण कुमार व सुनीलकुमार का 7/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तथा प्रतिवादी रणजीत वल्द नन्दराम का 1/8 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने का अनुतोष भी मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2018 के द्वारा वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद में हिस्सा की घोषणा का प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद को खारिज कर दिया है। विचारण न्यायायल ने यह अंकित करते हुए वाद खारिज किया है कि विवादग्रस्त भूमि रणजीत, जो कि वादी का दादा है को भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई है। रणजीत के पिता नन्दराम का देहान्त उनके पिता जोधा के जीवन में हो गया था जोधा की मृत्यु पर जोधाराम से प्रश्नगत भूमि रणजीत को मिली है। प्रतिवादी के दावे के तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए दावा स्वीकार करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों एवं मौखिक साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया है। सिर्फ जल्दबाजी में निर्णय किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 के अधिवक्ता ने कथन किया कि यदि अपील स्वीकार की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष प्रश्नगत भूमि को अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि रणजीत के पिता नन्दराम का देहान्त उनके पिता जोधा के जीवनकाल में होने के कारण रणजीत को उसके दादा से प्राप्त हुई है। जमाबन्दी में वाद भूमि वादी के दादा रणजीत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी ने अपने पिता व दादा को प्रतिवादी पक्षकार बनाया मगर अनुतोष अपने दादा से चाहा है। नन्दराम को भूमि कहां से प्राप्त हुई थी? इसका कोई दस्तावेज अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को वाद दस्तावेजों से साबित होना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया है। अपील स्तर पर भी अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं हैं
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2018 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official